

प्रेस नोट दिनांक 13.08.2024

थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

□थाना कन्दवा पुलिस टीम व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा अन्तर्राज्य सीमा (उ0प्र0 /बिहार) पर चेकिंग के दौरान 934.92 लीटर अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

□कन्दवा पुलिस टीम को ककरैत पुलिस चेक पोस्ट के पास नहर पुलिया से चेकिंग के दौरान मिली सफलता

□स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना कन्दवा पुलिस टीम की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे द्वारा अपराध एवं अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने तथा अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कन्दवा हरिनारायण पटेल मय हमराह द्वारा दिनांक 12/13.08.2024 की रात्रि में मुखबीर की सूचना के आधार पर अन्तर्राज्य सीमा ककरैत पुलिस चेकिंग पोस्ट के पास नहर पुलिया से 01 अभियुक्त को पिकअप वाहन में सब्जी के कैरेट के नीचे छिपाई गयी कुल 106 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (कुल मात्रा 934.92 लीटर) व 02 फर्जी वाहन नम्बर प्लेट बरामद करते हुये गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-33/2024 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बी0एन0एस0 व 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की प्रचलित है।

पुलिस कार्रवाई- दिनांक 12.08.2024 को थानाप्रभारी हरिनारायण पटेल मय हमराह व स्वाट/सर्विलांस को मुखबीर से सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन जिसमें कोई अवैध वस्तु होने की संभावना है जो जमनिया गाजीपुर से थाना कन्दवा क्षेत्र होते हुए बिहार राज्य जाने वाला है।उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना कन्दवा व स्वाट/सर्विलांस पुलिस टीम द्वारा संयुक्त टीम रूप से ककरैत पुलिस चेकपोस्ट के पास नहर पुलिया पर संदिग्ध व्यक्तियों /वाहनों की चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन जिसमें पुलिस को चकमा देने के लिए सब्जी के कैरेट रखे गये थे। चेकिंग के दौरान मौजूदा पुलिस टीम द्वारा सब्जी के कैरेट को हटाकर देखा गया तो पॉलिथिन के नीचे 106 पेटी विभिन्न ब्रांडो की अंग्रेजी शराब(लगभग 934.92 लीटर) बरामद की गयी। मौके से अन्तर्राज्य शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

पूछताछ विवरण-पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उक्त शराब को वह हरियाणा से खरीदकर बिहार राज्य ले जाकर ऊँचे दामों में विक्रय कर लाभ अर्जित करता है ,जिससे अपना जीवन यापन करता है। अभियुक्त द्वारा बताया कि फर्जी नंबर प्लेट के विषय में बताया गया कि पुलिस को चकमा देने के लिए नंबर प्लेटो की अदला बदली करके तस्करी की घटना को अंजाम देने वाला था।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त का विवरण-

1. राहुल सिंह पुत्र राजू सिंह उम्र 25 वर्ष नि0 C-10C श्रीनिवास नगर थाना मुरलीपुरा जिला जयपुर राजस्थान तथा मूल निवासी टेमई का पुरा थाना मेजा जनपद प्रयागराज

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-33/2024 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बी0एन0एस0 व 60/63 आबकारी अधिनियम थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण-

1. 106 पेटी(विभिन्न ब्रांड) अवैध अंग्रेजी शराब (कुल मात्रा 934.92 लीटर) कीमत लगभग 10 लाख रुपये
2. एक पिकअप
3. 02 फर्जी नम्बर प्लेट (1) RJ 18GC 7250 (2) RJ 18 GC 6132
4. एक मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी
5. नकद- 600-/- रुपये

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 हरिनारायण पटेल थाना कन्दवा जनपद चन्दौली
2. स्वाट टीम प्रभारी/सर्विलांस प्रभारी उ0नि0 आशीष मिश्रा जनपद चन्दौली
3. उ0नि0 राधाकृष्ण यादव थाना कन्दवा जनपद चन्दौली
4. उ0नि0 दिनेश कुमार मिश्रा थाना कन्दवा जनपद चन्दौली
5. हे0का0 राणाप्रताप सिंह
6. हे0का0 प्रेमप्रकाश यादव सर्विलांस टीम जनपद चन्दौली
7. का0 दीपक कुमार थाना कन्दवा जनपद चन्दौली 8. का0 अवनीश शुक्ला थाना कन्दवा जनपद चन्दौली
9. का0 अजय कुमार थाना कन्दवा जनपद चन्दौली 10. का0 नीरज मिश्रा सर्विलांस टीम जनपद चन्दौली
11. का0 अजीत सिंह सर्विलांस टीम जनपद चन्दौली 12. का0 मनीष कुमार सर्विलांस टीम जनपद चन्दौली
13. का0 गणेश तिवारी सर्विलांस टीम जनपद चन्दौली 14. का0 संदीप कुमार सर्विलांस टीम जनपद चन्दौली
15. का0 मनोज यादव सर्विलांस टीम जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक 13.08.2024

थाना धीना जनपद चन्दौली

जनपदीय पुलिस द्वारा शांति, मनबढ़ व अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध लगातार की जा रही प्रभावी कार्यवाही

थाना धीना पुलिस टीम द्वारा जनपद में आपराधिक प्रवृत्ति के 01 आरोपी को किया गया जिला बंदर

थाना धीना द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध की गई उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1970 की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये निर्देश व अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह महोदय के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा श्री रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धीना रमेश यादव मय हमराह उ0नि0 प्रेमनारायण यादव व अन्य हमराहियों के साथ थाना धीना के सक्रिय अपराधी राजीव रंजन सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी ग्राम बहोरा चन्देल थाना धीना जनपद चन्दौली के विरुद्ध उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1970 की धारा 3(1) के तहत जिला बंदर की कार्रवाई की गयी।

अभियुक्त का नाम व पता-

राजीव रंजन सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी ग्राम बहोरा चन्देल थाना धीना जनपद चन्दौली

आपराधिक इतिहास का विवरण –

1. मु0अ0सं0 62/2021 धारा 392/411 भादवि थाना धीना जनपद चन्दौली
2. मु0अ0सं0 63/2021 धारा 38/25 आर्म्स एक्ट थाना धीना जनपद चन्दौली

कार्यवाही करने की पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक थाना धीना रमेश यादव मय हमराह

प्रेस विज्ञापित दिनांक-13.08.2024

जनपद चन्दौली

□पुलिस अधीक्षक चन्दौली जनता दर्शन में आए फरियादियों की सुनी गई समस्याएं

□जनता की समस्याओं को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर करे निस्तारण

□जनता से प्राप्त प्रत्येक प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में स्वयं थानाप्रभारियों से वार्ता कर दिए निर्देश

चन्दौली-

जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराये जाने के क्रम में आज दिनांक 13.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांगे ने पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई किया। जिसमें अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे फरियादियों के आवेदन लेकर उन्हें न्यायोचित/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने का आश्वासन दिया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि फरियादियों की शिकायतों का गुणवत्ता के साथ निस्तारित करना व न्याय दिलाना ही चन्दौली पुलिस की प्राथमिकता है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न थानाक्षेत्रों से आए आवेदकों की शिकायतों को जनसुनवाई के माध्यम से गंभीरतापूर्वक सुना एवं संबंधित राजपत्रित अधिकारी (पुलिस) थाना प्रभारी से स्वयं वार्ता कर आवेदक की शिकायत का निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनसुनवाई के दौरान आने वाले नागरिकों/आवेदकों/ फरियादियों के साथ शिष्ट एवं विनम्र व्यवहार किया जाए व प्रत्येक आवेदक की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनाकर उसका गुण दोष के आधार पर सकारात्मक कार्यवाही की जाए।

आज पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद-08, परिवारिक विवाद 02, साइबर सम्बन्धित 01, अन्य विवाद-15 कुल 26 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिनके निस्तारण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित भी किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 13.08.2024

जनपद चन्दौली

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस

□ "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्रा (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद चन्दौली थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 10.02.2020 को धारा 379,411 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.छोटेलाल उर्फ छोटक पुत्र रामलाल निवासी दुल्हीपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 49/20 धारा 379,411 भादवि थाना मुगलसरायमें पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री मनीष कुमार (एसपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार हे0का0 राजेश राय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 13.08.2024 मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्रा (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.छोटेलाल उर्फ छोटक पुत्र रामलाल निवासी दुल्हीपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक 13.08.2024

जनपद चन्दौली

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विकशन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस

□ "ऑपरेशन कन्विकशन" के उ0प्र0गुण्डा अधिनियम के दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्रा (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद चन्दौली थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 20.07.23 को धारा 10 उ0प्र0गुण्डा अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.छोटेलाल उर्फ छोटक पुत्र रामलाल निवासी दुल्हीपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 232/23 धारा उ0प्र0गुण्डा अधिनियम थाना मुगलसरायमें पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री मनीष कुमार (एसपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार हे0का0 राजेश राय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 13.08.2024 मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्रा (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.छोटेलाल उर्फ छोटक पुत्र रामलाल निवासी दुल्हीपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक 13.08.2024

जनपद चन्दौली

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विकशन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस

□ "ऑपरेशन कन्विकशन" के एनडपीएस एक्ट के दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद चन्दौली थाना सकलडीहा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 01.04.2003 को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.शम्भू सेठ पुत्र चरीतर सेठ निवासी ग्राम सावट थाना दुर्गावती जनपद कैमूर भभुआ बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 44/2003 को धारा 8/21 एनडपीएस एक्ट थाना सकलडीहा में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री विपीन कुमार (एपीओ) व थाना सकलडीहा के पैरोकार हे0का0 उमेश कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 13.08.2024 मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.शम्भू सेठ पुत्र चरीतर सेठ निवासी ग्राम सावट थाना दुर्गावती जनपद कैमूर भभुआ बिहार को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक 13.08.2024

थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा 03 वारंटी को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य लांगे चन्दौली व अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल यादव के आदेशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण व वांछित/वारंटी अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी चकिया आशुतोष के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल कुमार प्रजापति व उनके द्वारा गठित टीम ने मा0 न्यायालय से निर्गत NBW से संबंधित वारंटीगण 1. नामवर पुत्र प्रभू उर्फ भोजू यादव निवासी ग्राम मुबारकपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली 2. लालचन्द्र पुत्र रामलखन निवासी ग्राम पुरानाडीह थाना चकिया जनपद चन्दौली 3. बुद्धू पुत्र कुबेर निवासी ग्राम पुरानाडीह थाना चकिया जनपद चन्दौली को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा वारंटीगण का विवरण व गिरफ्तारी का स्थान

1. नामवर पुत्र प्रभू उर्फ भोजू यादव निवासी ग्राम मुबारकपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली को उसके घर के बाहर ग्राम मुबारकपुर से गिरफ्तार किया गया ।
2. लालचन्द्र पुत्र रामलखन निवासी ग्राम पुरानाडीह थाना चकिया जनपद चन्दौली को उसके घर के बाहर ग्राम पुरानाडीह से गिरफ्तार किया गया ।
3. बुद्धू पुत्र कुबेर निवासी ग्राम पुरानाडीह थाना चकिया जनपद चन्दौली को उसके घर के बाहर ग्राम पुरानाडीह से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री अतुल कुमार प्रजापति थाना चकिया जनपद चन्दौली
2. उ0नि0 श्री अभिनव कुमार गुप्ता थाना चकिया जनपद चन्दौली
3. हे0का0 संदीप कुमार पाण्डेय थाना चकिया जनपद चन्दौली
4. का0 राहुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक 13.08.2024

थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, चन्दौली के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अ0पु0अ0 सदर विनय सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चन्दौली के नेतृत्व में कोतवाली चन्दौली पुलिस द्वारा वांछित वारंटी के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 156/02 धारा 279/337/338/427 भादवि थाना व जनपद चन्दौली अभियुक्त 1. शेर बहादुर सिंह पुत्र राजाराम सिंह नि0 वर्जीखुर्द थाना महाराजगंज जि0 जौनपुर उम्र करीब 54 वर्ष अभियुक्त के घर से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता –

शेर बहादुर सिंह पुत्र राजाराम सिंह नि0 वर्जीखुर्द थाना महाराजगंज जि0 जौनपुर उम्र करीब 54 वर्ष

विवरण वारण्ट-

मु0अ0सं0 156/02 धारा 279/337/338/427 भादवि थाना व जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी टीम –

- 1.प्र0नि0 श्री गगन राज सिंह थाना व जिला चन्दौली
- 2.उ0नि0 श्री सूरज सिंह थाना व जिला चन्दौली